



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012025-260288
CG-DL-E-17012025-260288

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/PAUSAH 27, 1946

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2025

का.आ. 315(अ).—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 सितंबर, 1994 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 718(अ), तारीख 29 सितंबर, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (i) स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम से संबद्ध सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अनुभाग अधिकारी, और
- (ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अपर सचिव या संयुक्त सचिव।

[फा. सं.2/63/2017-डीएएस]
संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2025

S.O. 315(E).— In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 2 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), and in supersession of the notification number S.O. 718(E), dated the 29th September, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th September, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies, the following registering authorities for the purposes of the said Act, namely :-

- (i) Section Officer in the Ministry of Information and Broadcasting dealing with digital addressable systems for local cable operator; and
- (ii) Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting for multi-system operator.

[F. No. 2/63/2017-DAS]

SANJIV SHANKAR, Jt.Secy.